

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण 22, 1944 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 683 / 79-वि-1--2022-1-क-14-2022 लखनऊ, 13 दिसम्बर, 2022

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 जिससे विधायी अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2022) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] कतिपय अधिनियमितियों, जो वर्तमान समय में अप्रचलित और अनावश्यक हो गयी हैं, का निरसन करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन व्यावृत्ति

2--नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

- 3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से.-
- (क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;
- (ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या , कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृत कार्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;
- (ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धित या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्वन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;
- (घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे;
- (ङ) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हों।

### अनुसूची (धारा 2 देखें)

#### निरसित किये जा रहे अधिनियम

1 1	संयुक्त प्रान्त चिकित्सालय प्रान्तीयकरण अधिनियम,1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८ सन् 1947)
<u> </u>	भुवन्तर प्रदेश आधानयम् अस्ति १९४७)
2	्राधानयम् १५५५ प्रदेश स्वरा यह (प्रश्राधावयहरू) (स्रशाधन) अधिनयम् १९५० (उत्तर प्रदेश आधानयम्
L	संख्या 31 सन् 1950)
3	पत्तर प्रदेश शक्तर और जानक प्रतास करिए करिए
	उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) अधिनियम,
	1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1953)
4	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम
1	संख्या ३ सन् १९६०)
5	
<u> </u>	्रायाच्या अधानयम्, १९६१ अधानयम् संख्या ३४ सन् १९६१)
6	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1963 (उत्तर प्रदेश अधिनियम
<u></u>	संख्या ४ सन् 1964)
7	उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30
	सन् 1966)
8	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम
L	संख्या ६ सन् १९७१)
9	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रयं-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1972
	अधिनयम् । (अला अपा अराप । पानपान आर क्रयं–कर का वसूला) (संशोधन) अधिनयम् । १९७०
<del></del>	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २ सन् 1972)
10	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण)
	अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७ सन् 1974)
	(1974)

	3
11	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय—कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1974)
12	उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 1975)
13	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1976)
14	उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1976)
15	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम
	संख्या 34 सन् 1976)
16	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम
17	संख्या 30 सन् 1979)
17	उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1982)
18	उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20
10	सन् 1985)
19	उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30
	सन् 1989)
20	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003)
21	उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003
	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2003)
22	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्
23	2004)
2.5	उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2005)
24	उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम
	संख्या ६ सन् २००६)
25	उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालयं (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम
	संख्या 15 सन् 2006)
26	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम
	संख्या 17 सन् 2006)
27	उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम
28	संख्या ७ सन् २००७) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००७ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18
20	सन् 2007)
29	छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, २००७ (उत्तर प्रदेश
	अधिनियम संख्या 31 सन् 2007)
30	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम
	संख्या ३३ सन् २००७)
31	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम
32	संख्या २२ सन् २००४)
33	उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2008) उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3
	सन् 2009)
34	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2010)
35	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2013)
36	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर
	प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2020)।

### उददेश्य और कारण

यह विधेयक उन आविधिक उपायों में से एक आविधिक उपाय है जिनके द्वारा उन अधिनियमितियों, जो वर्तमान समय में अनावश्यक एवं अप्रचलित हो गयी हैं, का निरसन किया जाता है। राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर तथा नागरिकों एवं उद्योगों के लिये कारबार में सुगमता प्रदान करने हेतु विनियामक अनुपालन सम्बन्धी भार को कम करने तथा वैधीकरण करने के उद्देय से वर्तमान में अनावश्यक एवं अप्रचलित हो चुकी या पृथक अधिनियमों के रूप में बने रहना अनावश्यक हो चुकी अधिनियमितियों का, प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बंध में सहमित प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 2022 के राज्य विधान मंडल के तृतीय सन्न में विधेयक पुरःस्थापित करके, निरसन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 पुर:स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

#### No. 683 (2)/LXXIX-V-1-2022-1(ka)-14-2022

Dated Lucknow, December 13, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nirsan Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 13, 2022. The Vidhayi Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

#### THE UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2022

(U.P. Act no. 18 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

ΑN

ACT

to repeal certain enactments that have become redundant and obsolete in the present times.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Repealing Act, 2022.

Repeal of certain

2. The enactments specified in the Schedule below are hereby repealed.

3. The repeal by this Act of any enactment shall not :-

Savings

- (a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to:
- (b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;
- (c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;
- (d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force;
- (e) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

#### SCHEDULE (See section 2) Acts being repealed

1	The United Provinces Provincialization of Hospitals Act, 1947 (U.P. Act no. 8 of 1947)
2	The Uttar Pradesh Prevention of Crimes (Special Powers) (Amendment) Act, 1950 (U.P. Act no. 31 of 1950)
3	The Uttar Pradesh Sugar and Power Alcohol Industries Labour Welfare and Development Fund (Supplementary) Act, 1953 (U.P. Act no. 27 of 1953)
4	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1960 (U.P. Act no. 3 of 1960)
5	The Uttar Pradesh Sugarcane Laws (Amendment) Act, 1961 (U.P. Act no. 34 of 1961)
6	The Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1963 (U.P. Act no. 4 of 1964)
7	The Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. 30 of 1966)
8	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1970 (U.P. Act no. 6 of 1971)
9	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase and Recovery of Purchase Tax) (Amendment) Act, 1972 (U.P. Act no. 2 of 1972)
10	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase and Recovery of Purchase Tax) (Amendment and Validation) Act, 1974 (U.P. Act no. 7 of 1974)

11	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase and Recovery of Purchase Tax) (Amendment) Act, 1974 (U.P. Act no. 28 of 1974)
12	The Uttar Pradesh Unauthorized Medical Educational Institutions (Prevention) (Amendment) Act, 1975 (U.P. Act no. 37 of 1975)
13	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1976 (U.P. Act no. 10 of 1976)
14	The Uttar Pradesh Regulation of Money Lending Act, 1976 (U.P. Act no. 29 of 1976)
15	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1976 (U.P. Act no. 34 of 1976)
16	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 30 of 1979)
17	The Uttar Pradesh Unauthorized Medical Educational Institutions (Prevention) (Amendment) Act, 1982 (U.P. Act no. 26 of 1982)
18	The Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Act, 1985 (U.P. Act no. 20 of 1985)
19	The Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Act, 1989 (U.P. Act no. 30 of 1989)
20	The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2003 (U.P. Act no. 11 of 2003)
21	The Uttar Pradesh Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University (Second Amendment) Act, 2003 (U.P. Act no. 13 of 2003)
22	The King George's Medical University (Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 4 of 2004)
23	The Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) (Amendment) Act, 2005 (U.P. Act no. 22 of 2005)
24	The Uttar Pradesh King George's University of Dental Sciences (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 6 of 2006)
25	The Uttar Pradesh King George's Medical University (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 15 of 2006)
26	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 17 of 2006)
27	The Uttar Pradesh King George's University of Dental Sciences (Repeal) Act, 2007 (U.P. Act no. 7 of 2007)
28	The King George's Medical University (Second Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 18 of 2007)
29	The Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 31 of 2007)
30	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 33 of 2007)
31	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2008 (U.P. Act no. 22 of 2008)
32	The Uttar Pradesh Sugarcane Laws (Amendment) Act, 2008 (U.P. Act no. 23 of 2008)
33	The Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 3 of 2009)
34	The Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai (Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 13 of 2010)
35	The Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai (Amendment) Act, 2013 (U.P. Act no. 20 of 2013)
36	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2020 (U.P. Act no. 14 of 2020)
-	

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is one of those periodical measures by which enactments which have become redundant and obsolete in the present times, are repealed. On recommendation of the State Law Commission, and in order to reduce regulatory compliance burden to facilitate ease of doing business for citizens and industries and with the objective of decriminalization, it has been decided to repeal enactments which have become redundant and obsolete in present times or retention whereof as separate Acts is unnecessary, by introducing a Bill in the third session, of the year 2022, of the State Legislature after obtaining the consent of the Administrative Departments related therewith.

The Uttar Pradesh Repealing Bill, 2022 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.